भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
दिनांकः 01.08.2014

सं. 226/7/2014

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित स्थानान्तरण एवं तैनातियां तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, एतद्‌द्वारा की जाती हैः

क्रम. सं.	अधिकारी/क्रार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान आवंटन/तैनाती	नया आवंटन/तैनाती	अभ्युक्ति
1.	श्री अनूप कुमार, अवर सचिव	नयाचार अनुभाग	1. नयाचार अनुभाग 2. पूर्व अनुभाग-I	-
2.	श्री ए.के. पाठक, अवर सचिव	आरटीआई अनुभाग	1. आरटीआई अनुभाग 2. सांख्यिकीय अनुभाग 3. आर एण्ड डी अनुभाग	-
3.	श्री ए.एन. दास, अवर सचिव	1. भण्डार एवं क्रयअनुभाग 2. बिल अनुभाग	1. भण्डार एवं क्रय अनुभाग 2. बिल अनुभाग 3. महाराष्ट्र (पश्चिम अनुभाग-II)	-
4.	कुमारी पुष्पा निरोज लाकड़ा, अवर सचिव	1. सांख्यिकीय अनुभाग 2. आर एण्ड डी अनुभाग	पूर्व अनुभाग-II	-
5.	श्री शीश राम, अनुभाग अधिकारी	निर्वाचन योजना अनुभाग	उत्तर अनुभाग-I	-
6.	कु. ऊषा, उ.श्रे.लि.	रोकड़ अनुभाग	सांख्यिकीय अनुभाग	-

मानक वितरण

(बी.सी. पात्रा)
अवर सचिव

<u>फैक्स/स्पीड पोस्ट</u>

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 181/2/2005 (पीआईओ) दिनांकः 15 सितम्बर, 2005

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित
क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005- जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों के पदनाम - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया है और इसे भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में 21 जून, 2005 को प्रकाशित किया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अधिनियम उसके अधिनियमन के 120 वें दिन लागू हो जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन, प्रत्येक जन प्राधिकारी उक्त अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर, इसके अन्तर्गत सभी प्रशासनिक इकाईयों या कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों राज्य जन सूचना अधिकारियों के रुप में यहाँ तक की उप प्रभागीय स्तर या उप जिला स्तर पर अनेक अधिकारियों को पदनामित करेगा।

आयोग ने निर्णय किया है कि निम्नलिखित अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी (पी आई ओ) और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) के रूप में नामित किया जाएगाः-

क्रम. सं.	सीईओ के कार्यालय में अधिकारी	पद नामित रूप में
1.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी या उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जहां संयुक्त सीईओ न हों	जन सूचना अधिकारी
2.	सहायक सीईओ या सहायक सीईओ के समकक्ष कोई अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी

यह भी निर्णय लिया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने संबंधित कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) के रूप में उपयुक्त अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि आप आवश्यक कार्रवाई करें और इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आयोग को, नामित अधिकारियों के नाम और पते की सूचना दें।

भवदीय,

(राजेश अग्रवाल)

निदेशक (प्रशासन)

फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं. 181/2/2005 (पीआईओ) दिनांकः 10 अक्तूबर, 2005

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित
क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी।

महोदय/महोदया,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, उप-धारा (iii) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को, जब वह सूचना हेतु अनुरोध अस्वीकृत करता है, तो अपीलीय प्राधिकारी के ब्यौरों का उल्लेख करना आवश्यक होता है।

2 इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील ऐसे अधिकारी को की जा सकती है जो यथास्थिति केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठ हो।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य के लिए उनके कार्यालयों में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को पदनामित करने का निर्णय किया है। जहां तक कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के कार्यालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी का संबंध है, एक अधिकारी, जो अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार जिले के जन सूचना अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से वरिष्ठ हो, उसे अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जा सकता है।

भवदीय,
(राजेश अग्रवाल)
निदेशक (प्रशा.)

181/आरटीआई/2015/पोर्टल

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत निर्वाचन आयोग के सन्दर्भ में सूचना

(1) संगठन कार्य-कलाप एवं कर्त्तव्यों का विवरण

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। भारत के संविधान ने (अनुच्छेद 324) संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उप- राष्ट्रपति के कार्यालय के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने एवं संचालन के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है।

प्रारम्भ में, आयोग एकल सदस्य निकाय था जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अक्तूबर, 1993 से आयोग तीन-सदस्य निकाय है इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वान आयुक्त हैं।

आयोग का निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में एक सचिवालय है जिसमें लगभग 400 अधिकारी/कर्मचारी पदानुक्रम रूप से कार्य करते हैं।

आयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए सचिवालय के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में उप निर्वाचन आयुक्त और महानिदेशक होते हैं। वे सामान्यतः देश की अखिल भारतीय सेवाओं ने एवं केन्द्रीय सेवाओं से नियुक्त किए जाते हैं और उनका चयन व कार्यकाल सहित उनकी नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है। वरिष्ठ प्रधान सचिव, निदेशक, प्रधान सचिव, संयुक्त निदेशक, सचिव, उपसचिव एवं अवर सचिव उनको सहयोग देते हैं। आयोग में कार्य का प्रकार्यात्मक और क्षेत्रीय वितरण किया गया है और कार्य को डिविजनों, शाखाओं और अनुभागों में वितरित किया गया है; प्रत्येक इकाई अनुभाग अधिकारी के प्रभार में होती है। मुख्य प्रकार्यात्मक प्रभाग है: योजना, निर्वाचक नामावली, नियामक लेखा परीक्षा, न्यायिक, राजनैतिक दल, प्रशासन, सूचना प्रणालियां, मीडिया, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सचिवालय समन्वयन, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण विभाग। विभिन्न जोन के लिए उत्तरदायी पृथक-इकाईयों के मध्य क्षेत्रीय कार्य का बँटवारा किया गया है जिसमें प्रबंधन की सुविधा हेतु देश के 36 संघटक राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को सम्हूीकृत किया गया है।

राज्य स्तर पर निर्वाचन कार्य का अक्षीक्षण राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा आयोग के समग्र अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन किया जाता है, इन मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने पर राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित वरिष्ठ सिविल सेवकों में से आयोग द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं और उनके पास सहायक स्टाफ की छोटी सी एक टीम होती है। जिला एवं

निर्वाचन क्षेत्र स्तरों पर निर्वाचन कार्यकर्त्ता जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण और रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, वे निर्वाचन संबंधी कार्य के निष्पादन में अन्य पदाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। वे सभी अपने अन्य दायित्वों के अतिरिक्त निर्वाचनों से संबंधित अपने प्रकार्यों का भी निष्पादन करते हैं। तथापि, निर्वाचन के दौरान, वे आयोग के लिए कमोबेश, पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध होते हैं। निर्वाचन संबंधी ड्यूटी पर उनकी तैनाती की अवधि के दौरान उन सब को आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त माना जाता है और वे आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण और अनुशासन के अधीन होते हैं। [आगे के विवरण के लिए आयोग की वेबसाइट (http://eci.nic.in) पर देंखे।]

(2) कार्यकलाप एवं कर्त्तव्यः-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों एवं भारत के संविधान के अधीन आयोजित राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के कार्यालयों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने एवं संचालन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन आयोग, संबंधित सरकार के साथ परामर्श करके, प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्र में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त/पदाभित करता है। ये अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण एवं अनुशासन के अधीन निर्वाचक नामावलियों को तैयार एवं पुनरीक्षण करने तथा निर्वाचनों के संचालन में वास्तविक रूप से क्षेत्रीय तथा कार्यालय का कार्य करते हैं।

(3) पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व की प्रणाली सहित निर्णय करने की प्रक्रिया में अनुसरणनीय प्रक्रिया

आयोग में कार्य का प्रकार्यात्मक और क्षेत्रीय वितरण किया गया है। कार्य को डिवीजिनों, शाखाओं और अनुभागों में वितरित किया गया है; उल्लिखित इकाईयों में से प्रत्येक इकाई अनुभाग अधिकारी के प्रभार में होती है। अवर सचिव या शाखा अधिकारी दो या दो से अधिक अनुभागों को देखता है। सचिव एक या एक से अधिक जोन को देखता है। मुख्य प्रकार्यात्मक प्रभाग है: योजना, निर्वाचक नामावली, नियामक लेखा परीक्षा, न्यायिक, राजनैतिक दल, प्रशासन, सूचना प्रणालियां, मीडिया, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सचिवालय समन्वयन, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण विभाग। विभिन्न जोन के लिए उत्तरदायी पृथक-इकाईयों के मध्य प्रादेशिक कार्य का बँटवारा किया गया है जिसके लिए प्रबंधन की सुविधा हेतु देश के 36 संघटक राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को समूहीकृत किया गया है। आयोग में कार्य के वितरण का विवरण निम्नानुसार हैः-

अनुभाग अधिकारी एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के स्तर से अधिकारियों के बीच का कार्य का वितरण

क्रम सं.	अनुभाग का नाम	सचिव/प्रधान सचिव/निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप सचिव/पुस्तकालय सूचना अधिकारी	अवर सचिव/संयुक्त (राजभाषा)/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक निदेशक (राजभाषा)

श्री विनोद जुत्शी, उप निर्वाचन आयुक्त

1.	स्थापना अनुभाग-I	स्टैंडहोप युहूलुंग, प्र.स.	बी.सी. पात्रा, अ.स.	के.पी. सिंह
2.	स्थापना अनुभाग-II	स्टैंडहोप युहूलुंग, प्र.स.	बी.सी. पात्रा, अ.स.	अभिषेक मोहन
3.	भण्डार एवं क्रय अनुभाग	स्टैंडहोप युहूलुंग, प्र.स.	ए.एन. दास, अ.स.	शशीबाला भारद्वाज
4.	बिल अनुभाग	स्टैंडहोप युहूलुंग, प्र.स.	ए.एन. दास, अ.स.	हरगोविंद
5.	प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग	स्टैंडहोप युहूलुंग, प्र.स.	राजन जैन, अ.स.	कप्तान चंद
6.	सेवा एवं अनुरक्षण अनुभाग	स्टैंडहोप युहूलुंग, प्र.स.	राजन जैन, अ.स.	सुरेन्द्र सिंह
7.	प्रेक्षक योजना डिवीजन	के.एन. भार, स.	मधुसूदन गुप्ता, अ.स.	ओ.पी. साहनी
8.	आचार संहिता अनुभाग	के. अजय कुमार, प्र.स.	मधुसूदन गुप्ता, अ.स.	राजेश कुमार सिंह
9.	द्विवार्षिक निर्वाचन अनुभाग	के. अजय कुमार, प्र.स.	मधुसूदन गुप्ता, अ.स.	राजेश कुमार सिंह
10.	उत्तर अनुभाग-I (परिषद निर्वाचनों सहित केवल जम्मू-कश्मीर)	संगारा राम, व.प्र.स.	कुमार राजीव, अ.स.	शीश राम
11.	उत्तर अनुभाग-II (केवल दिल्ली एवं उत्तराखंड)	संगारा राम, व.प्र.स.	कुमार राजीव, अ.स.	वीर सिंह
12.	उत्तर अनुभाग-III (उत्तर प्रदेश)	आर.के. श्रीवास्तव, प्र.स.	राकेश कुमार, अ.स.	अमित कुमार
13.	दक्षिण अनुभाग-III (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना)	तपस कुमार, व.प्र.स.	दारसुथांग, अ.स.	प्रफुल्ल अवस्थी
14.	पश्चिम अनुभाग-I (गुजरात और दमन एवं दीव)	के. अजय कुमार (गुजरात) बर्नाड जॉन (दमन एवं दीव)	ए.के. भटनागर, अ.स.	एस.के. विद्यार्थी
15.	पूर्व अनुभाग-II (पश्चिम बंगाल)	आर.के. श्रीवास्तव, प्र.स.	अनूप कुमार, अ.स.	राकेश कुमार
16.	उत्तर पूर्व अनुभाग-I (सिक्किम एवं त्रिपुरा)	अनुज जयपुरियार, सचिव	अरविंद आनंद, अ.स.	दीपमाला
17.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	धीरेन्द्र ओझा, निदे.	के.डी.के. वर्मा, अ.स.	अजय कुमार वर्मा
18.	प्रवासी प्रशिक्षण विकास	धीरेन्द्र ओझा, निदे.	राहुल शर्मा, अ.स.	अजय कुमार वर्मा
19.	निर्वाचन योजना	सुमित मुखर्जी, सचिव	जयदेव लाहिड़ी, अ.स.	दिलीप कुमार महतो

श्री सुधीर त्रिपाठी, उप निर्वाचन आयुक्त

20.	समन्वय अनुभाग	नरेन्द्र न. बुटोलिया, स.	अरविंद आनंद, अ.स.	लव कुश यादव
21.	आर.टी.आई. अनुभाग	के.एफ. विलफ्रेड, प्र.स. एवं प्र.अ. अधिकारी के.एन. भार, सचिव	एस.के. मिश्रा, अ.स. एवं के.ज.सू. अधिकारी	एस.के. दूबे
22.	संदर्भ एवं कोर्ट केस अनुभाग	के.एफ. विलफ्रेड, प्र.स. अनुज जयपुरियार, सचिव	एन.टी. भूटिया, अ.स.	बिनोद कुमार
23.	सांविधिक निदेश एवं सुधार अनुभाग	के.एफ. विलफ्रेड, प्र.स. अनुज जयपुरियार, सचिव	एन.टी. भूटिया, अ.स.	अभिषेक तिवारी
24.	राजनैतिक दल अनुभाग-I	के.एफ. विलफ्रेड, प्र.स. वरिन्दर कुमार, स.	पी.के. शर्मा, अ.स.	ए.के. मोहल
25.	राजनैतिक दल अनुभाग-II	के.एफ. विलफ्रेड, प्र.स. वरिन्दर कुमार, स.	पी.के. शर्मा, अ.स.	रितेश सिंह
26.	राजनैतिक दल अनुभाग-III	के.एफ. विलफ्रेड, प्र.स. वरिन्दर कुमार, स.	ए.के. पाठक, अ.स.	मनीष कुमार
27.	दक्षिण अनुभाग-I (तमिलनाडु एवं पुडुचेरी)	तपस कुमार, व.प्र.स.	दारसुथांग, अ.स.	मन्ना लाल मीणा
28.	दक्षिण अनुभाग-III (लक्ष्यद्वीप)	तपस कुमार, व.प्र.स.	दारसुथांग, अ.स.	प्रफुल्ल अवस्थी
29.	उत्तर अनुभाग-I (राजस्थान)	संगाराराम, व.प्र.स.	कुमार राजीव, अ.स.	शीश राम
30.	पश्चिम अनुभाग-I (मध्य प्रदेश)	एन.एन. बुटोलिया, स.	ए.के. भटनागर, अ.स.	एस.के. विद्यार्थी
31.	पश्चिम अनुभाग-II (महाराष्ट्र एवं गोवा)	आर.के. श्रीवास्तव, प्र.स. (महाराष्ट्र) बर्नाड जॉन, प्र.स. (गोवा)	ए.एन. दास (महाराष्ट्र) ए.के. भटनागर (गोवा)	लता त्रिपाठी
32.	पूर्व अनुभाग-I (छतीसगढ़)	आर.के. श्रीवास्तव, प्र.स.	अनूप कुमार, अ.स.	संतोष कुमार
33.	उत्तर पूर्व अनुभाग-I (नागालैण्ड)	अनुज जयपुरियार, स.	अरविंद आनंद, अ.स.	दीपमाला
34.	उत्तर पूर्व अनुभाग-II (अरूणाचल प्रदेश एवं मिजोरम)	अनुज जयपुरियार, स.	सरोज कुमारी कलोनिया, अ.स.	संजीव कुमार प्रसाद
35.	प्रशिक्षण अनुभाग-I	विवेक खरे, नि.	एस.बी. जोशी	आर.के. सैनी
36.	प्रशिक्षण अनुभाग-I	विवेक खरे, नि.	एस.बी. जोशी	संजय कुमार
37.	सांख्यिकी अनुभाग	विवेक खरे, नि.	टी.सी. कॉम	रामेश्वर प्रसाद

38.	पंजीकरण	के.एफ. विलफ्रेड, प्र.स. अनुज जयपुरियार, सचिव	ए.के. पाठक, अ.स.	ब्रजेश कुमार
39.	राजभाषा अनुभाग	--	रचना गुप्ता, सं. नि. (राजभाषा)	महेन्द्र सिहं, सं.नि. (राजभाषा)

श्री उमेश सिन्हा, उप-निर्वाचन आयुक्त

40.	स्वचालन एवं तकनीकी डिवीजन	वी.एन. शुक्ला, नि. (आई.टी.) एन. एन. बुटोलिया, स.	आई.सी. गोयल, अ.स.	मुकेश कुमार
41.	निर्वाचन सामग्री डिवीजन	वी.एन. शुक्ला, नि. (आई.टी.) के. एन. भार, स.	मधुसूदन गुप्ता, अ.स.	ओ.पी. साहनी
42.	निर्वाचन नामावली डिवीजन	आर.के. श्रीवास्तव, प्र.स. एन.एन. बुटोलिया, स.	अजॉय कुमार, अ.स.	राजन अग्रवाल
43.	दक्षिण अनुभाग-॥ (कर्नाटक और केरल)	तपस कुमार, व.प्र.स.	दारसुथांग, अ.स.	हरजीत कौर
44.	उत्तर अनुभाग-। (हिमाचल प्रदेश और पंजाब)	संगारा राम, व.प्र.स.	कुमार राजीव, अ.स.	शीश राम
45.	उत्तर अनुभाग-॥ (हरियाणा और चण्डीगढ़)	संगारा राम, व.प्र.स.	कुमार राजीव, अ.स.	वीर सिंह
46.	पश्चिम अनुभाग-॥ (दादर और नागर हवेली)	बर्नाड जॉन, स.	ए.के. भटनागर अ.स.	लता त्रिपाठी
47.	पूर्व अनुभाग-। (बिहार और झारखण्ड)	आर.के. श्रीवास्तव, प्र.स.	अनुप कुमार, अ.स.	संतोष कुमार
48.	पूर्व अनुभाग-॥ (ओडिशा)	आर.के. श्रीवास्तव, प्र.स.	अनुप कुमार, अ.स.	राकेश कुमार
49.	उत्तर पूर्व अनुभाग-। (मणिपुर)	अनुज जयपुरियार, स.	अरविन्द आनंद, अ.स.	दीपमाला
50.	उत्तर पूर्व अनुभाग-॥ (असम और मेघालय)	अनुज जयपुरियार, स.	सरोज कुमारी कालोनिया, अ.स.	संजीव कुमार प्रसाद
51.	स्वीप अनुभाग-।	पदमा आंगमो, उप.स.	सुमन कुमार दास, अ.स.	नरेश कुमार
52.	स्वीप अनुभाग-॥	पदमा आंगमो, उप.स.	सुमन कुमार दास, अ.स.	गुंचा बतरा अनेजा
53.	दक्षिण अनुभाग-। (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)	तपस कुमार, प्र.स.	दारसुथांग, अ.स.	मन्ना लाल मीणा
54.	पुस्तकालय	विवेक खरे, नि.	--	लक्ष्मी देवी
55.	प्रलेखन अनुभाग	विवेक खरे, नि.	पी.एन. लकड़ा, अ.स.	तनुज

श्री पी.के. दास, महानिदेशक (निर्वाचन व्यय)

56.	अभ्यर्थी व्यय अनुवीक्षण अनुभाग-I	एन. सी. स्वाइँ, निदेशक/एस.के. रुडोला, सचिव	अविनाश कुमार, अवर सचिव	जसमीत कौर
57.	व्यय अनुवीक्षण नीति विभाग	एस.के. रुडोला, सचिव	अविनाश कुमार, अवर सचिव	अनूप कुमार खाखलारी
58.	अभ्यर्थी व्यय अनुवीक्षण अनुभाग-II	एन.सी. स्वाइँ, निदेशक/एस.के. रुडोला, सचिव	अविनाश कुमार, अवर सचिव	सौम्यजीत घोष
59.	राजनैतिक दल व्यय अनुवीक्षण प्रभाग	एन.सी. स्वाइँ, निदेशक	मलय मल्लिक, अवर सचिव	पूनम सारंग
60.	रोकड़ अनुभाग	बर्नाड जॉन, प्रधान सचिव	जे.के. राव, अवर सचिव	टीटव राव
61.	वेतन एवं लेखा अनुभाग	बर्नाड जॉन, प्रधान सचिव	लेखराज शर्मा, अवर सचिव	नरेन्द्र सिहं रावत, (एएओ)
62.	आंतरिक वित्तीय प्रभाग-।	बर्नाड जॉन, प्रधान सचिव	मो. उमर, अवर सचिव	अनिल कुमार
63.	आंतरिक वित्तीय प्रभाग-।	बर्नाड जॉन, प्रधान सचिव	मो. उमर, अवर सचिव	अनिल कुमार

श्री तपस कुमार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

64.	विनियामकीय लेखा-परीक्षा प्रभाग		अरविंद आनन्द, अवर सचिव	संदीप कुमार

श्री शंगारा राम, वरिष्ठ प्रधान सचिव

65.	परीसीमन अनुभाग-।	सुमित मुखर्जी	टी.सी. कॉम, अवर सचिव	वासदेव अरोड़ा
66.	परीसीमन अनुभाग-।।	सुमित मुखर्जी	ए.के. पाठक	पूनम सारंग

श्री धीरेन्द्र ओझा, निदेशक

67.	नयाचार अनुभाग	सुमित मुखर्जी	राहुल शर्मा, अवर सचिव	राज लाल राय
68.	मीडिया अनुभाग	- - - - - -	सुमन कुमार दास, अवर सचिव	पवन दीवान

(4) आयोग द्वारा अपने कार्यों का निर्वाहन करने के लिए निर्धारित मानदण्ड

आयोग नियमित रूप से आंतरिक बैठकों के आयोजन और कागजों के परिचालन द्वारा अपना कार्य निष्पादित करता है। आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों को निर्णय लेने का समान अधिकार प्राप्त है। आयोग समय-समय पर, अपने सचिवालय के अधिकारियों को अपने कुछ विशेष कार्यं सौंपता है।

(5) जो इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में डील किए जाते है उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

(क) उपर्युक्त अधिनियमों और नियमों का संकलन, सार-सग्रंह जैसे की, निर्वाचक नामावलियों, निर्वाचनों का सांख्यिकीय डाटा, विभिन्न हैण्ड-बुक जैसे, रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, अभ्यर्थियों इत्यादि के लिए हैण्डबुक की तैयारी और निर्वाचनों के संचालन के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों का संकलन आयोग के सचिवालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में और आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ख) राजनैतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता से संबंधित दस्तावेज और पंजीकृत राजनैतिक दलों के नाम और निर्वाचन प्रतीकों को सम्मिलित करते हुए अधिसूचनाएं.

(ग) लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचनों और राज्य विधान सभाओं से संबंधित मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दायर करना।

(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के अंतर्गत राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त अनुदानों का ब्यौरा।

(ङ) अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास उपलब्ध है।

(च) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियाँ जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध है। प्रारूप निर्वाचक नामावलियों और अंतिम नामावलियों प्रत्येक की दो-दो प्रतियां सभी मान्यताप्राप्त राज्य एवं राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। निर्वाचक नामावलियाँ सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट के लिंक, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

(छ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) की तैयारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर की जाती है। एपिक के तैयार एवं जारी होने से संबंधित सूचना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से ली जा सकती है।

(ज) नामांकन के समय अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथपत्रों की प्रतियां निर्वाचनों के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के पास और निर्वाचन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध होती है। इन्हे मुख्य निर्वाचक अधिकारियों की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट के लिए लिंक इस वेबसाइट से उपलब्ध करवाया गया है।

(झ) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सभी साधारण निर्वाचनों का सांख्यिकी डाटा इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

(6) अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन या इसके कर्माचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश मैनुअल एवं अभिलेख

विभिन्न अधिनियम एवं नियम, विशेषकर वे जो निर्वाचन से संबंधित हैं, वे हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952, जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957, निर्वाचनों का संचालन अधिनियम, 1961, निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, जम्मू-कश्मीर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1965 और जम्मू-कश्मीर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1966 तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974। अन्य उपयुक्त रिकार्ड और मैनुअल, निर्वाचनों के संचालन पर संकलन रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, अभ्यर्थियों, मतदाता ऐजेंटो, मतगणना ऐजेंटों के लिए हैण्डबुक; निर्वाचनों का सांख्यिकी डाटा, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 इत्यादि पर सार-संग्रह। सभी उल्लिखित सूचना हमारी वेबसाइट http://eci.nic.in पर उपलब्ध है।

(7) इसकी नीति के प्रतिपादन या उसके कार्यान्वयन के संबंध में ऐसी किसी व्यवस्था के विवरण जो लोक सदस्यों के साथ परामर्श करने या उनके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद हैं।

जनता के सदस्य अपने सुझाव एवं विचार भारत निर्वाचन आयोग के सचिव को संबोधित पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। पूछताछ के लिए अखिल-भारतीय टोल फ्री नम्बर:1950 है।

(8) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू वेतमान, इसके संगठनात्मक पदानुक्रम के रूप में निम्नलिखित अनुसार हैः-

क्रम. सं.	**पदनाम**	**वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे (रु में) में वेतन**
1.	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	90,000 (नियत)
2.	निर्वाचन आयुक्त	90,000 (नियत)
3.	उप निर्वाचन आयुक्त	पी बी-4,37400-67000 जी पी 10,000
4.	महानिदेशक	पी बी-4,37400-67000 जी पी 10,000
5.	वरिष्ठ प्रधान सचिव	पी बी-4,37400-67000 जी पी 10,000
6.	निदेशक एवं प्रधान सचिव	पी बी-4,37400-67000 जी पी 8700
7.	सचिव	पी बी-3,15600-39100 जी पी 7600
8.	संयुक्त निदेशक	पी बी-3,15600-39100 जी पी 7600
9.	उप सचिव	पी बी-3,15600-39100 जी पी 7600
10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	पी बी-3,15600-39100 जी पी 7600
11.	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	पी बी-3,15600-39100 जी पी 7600
12.	अवर सचिव	पी बी-3,15600-39100 जी पी 6600
13.	प्रधान निजी सचिव	पी बी-3,15600-39100 जी पी 6600
14.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	पी बी-3,15600-39100 जी पी 5400
15.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	पी बी-3,15600-39100 जी पी 4800
16.	सहायक लेखा अधिकारी	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4800
17.	अनुभाग अधिकारी	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4800
18.	निजी सचिव	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4800
19.	सहायक पुस्ताकालयध्यक्ष	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4200
20.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4600
21.	सहायक	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4600
22.	निजी सहायक	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4600
23.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4200

24.	वरिष्ठ लेखाकार	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4200
25.	पुस्तकालय सहायक	पी बी - 1,9300-34800 जी पी 2800
26.	स्टॉफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड)/ परिवहन पर्यवेक्षक	पी बी - 2,9300-34800 जी पी 4200
27.	स्टॉफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I)	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 2800
28.	उच्च श्रेणी लिपिक	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 2400
29.	आशुलिपिक	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 2400
30.	स्टॉफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II)	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 2400
31.	अवर श्रेणी लिपिक	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 1900
32.	जिरॉक्स ऑपरेटर	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 1900
33.	स्टॉफ कार ड्राइवर साधारण ग्रेड	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 1900
34.	पुस्तकालय परिचर ग्रेड I	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 1900
35.	वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 1900
36.	डिस्पेच रीडर	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 1800
37.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	पी बी - 1,5200-20200 जी पी 1800

(9) बजट प्राक्कलन/परिशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय 2012-13 और 2013-2014 (रुपये में)

बजट प्राक्कलन/परिशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय 2013-2014 और 2014-2015							
लेखाकरण कोड	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष/विषय शीर्ष	वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्राक्कलन	वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए परिशोधित बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बजट प्राक्कलन	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिशोधित बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
2015	निर्वाचन						
2015.00.101	निर्वाचन आयोग						
01	स्थापना						
01.00.01	वेतन	18,42,00,000	19,90,00,000	20,37,12,515	21,69,00,000	24,50,00,000	24,14,30,846
01.00.02	मजदूरी	1,00,000	-	-	1,00,000	-	-
01.00.03	समयोपरि भत्ता	14,00,000	14,00,000	11,76,991	14,00,000	14,00,000	8,98,292
01.00.06	चिकित्सा उपचार	60,00,000	60,00,000	55,40,348	90,00,000	90,00,000	62,60,019
01.00.11	घरेलू यात्रा खर्च	70,00,000	115,00,000	124,56,418	80,00,000	150,00,000	157,73,943
01.00.12	विदेशी यात्रा खर्च	90,00,000	90,00,000	89,93,036	99,00,000	45,00,000	34,79,807
01.00.13	कार्यालय खर्च	7,20,00,000	850,00,000	893,82,561	848,00,000	9,00,00,000	1000,22,619

01.00.27	साधारण कार्य एवं अनुरक्षण	50,00,000	55,00,000	59,69,726	1,00,00,000	1,35,00,000	115,05,791
01.00.28	व्यवसायिक सेवाएं	5,00,00,000	3,00,00,000	298,54,931	7,50,00,000	5,00,00,000	499,52,469
01.00.16	प्रकाशन	27,00,000	27,00,000	28,08,845	27,00,000	34,00,000	38,65,933
01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय (कैंटीन)	22,00,000	22,00,000	16,90,808	22,00,000	22,00,000	20,07,574
01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय (आतिथेय)	48,00,000	98,00,000	120,01,468	150,00,000	150,00,000	153,21,991
01.00.50	अन्य प्रभार	40,00,000	40,00,000	31,57,187	40,00,000	20,00,000	20,56,247
01.99	सूचना प्रौधोगिकी						
01.99.13	कार्यालय खर्च	2,00,00,000	20,0,00,000	204,12,476	2,50,00,000	38,0,00,000	335,30,069
01.99.28	प्रोफेशनल सेवाएं	1,16,00,000	1,66,00,000	1,06,67,418	2,60,00,000	1,60,00,000	160,92,651
02	मतदाता जागरूकता						
02.00.31	सहायता अनुदान	18,50,00,000	17,50,00,000	17,49,10,827	12,00,00,000	11,50,00,000	1147,71,314
003	प्रशिक्षण						
01	निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना						
01.00.28	प्रोफेशनल सेवाएं	11,00,00,000,	7,85,00,000	7,33,76,960	7,00,00,000	7,00,00,000	694,61,281
4059	सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत व्यय						
4059.01	कार्यालय भवन						
4059.01.051	निर्माण						
10	निर्वाचन आयोग						
10.01.53	प्रमुख कार्य	1,00,00,000			1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
	कुल	685000000	65,62,00,000	65,61,12,515	69,00,00,000	70,00,00,000	69,64,30,846

निर्वाचक नामावलियों, निर्वाचक फोटो पहचान कार्डों पर खर्च का वहन केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर खर्च का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। लोक सभा के साधारण निर्वाचन से संबंधित व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। एक साथ निर्वाचन होने की दशा में केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर व्यय की हिस्सेदारी की जाती है। उपर्युक्त व्यय विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के बजट में और संबंधित राज्य सरकारों के बजट में प्रदर्शित किया जाता है।

(10) सबसिडी कार्यक्रमों, जिनमें आबंटित धनराशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण शामिल हैं, के निष्पादन का तरीका

निर्वाचन आयोग किसी भी कार्यक्रम पर कोई सबसिडी प्रदान नहीं करता है।

(11) इसके द्वारा प्रदत्त रियायतों , परमिट या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण

निर्वाचन आयोग के मामले में लागू नहीं।

(12) इसके पास उपलब्ध या इसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में लघुकृत, सूचना के संदर्भ में विवरण

वर्ष 1952 से आयोजित निर्वाचनों के सांख्यिकीय आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 से निर्वाचन आंकड़ों के सिवाय अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राज्यों की निर्वाचकीय नामावलियां संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

(13) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के उपलब्ध सुविधाओं के विवरण

सूचना आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://eci.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है और कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और/या सहायक जन सूचना अधिकारी (एसीपीआईओ) को लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। सीपीआईओ और एसीपीआईओ के विवरण नीचे दिए गए हैं।

बिक्री के लिए उपलब्ध प्रकाशन सभी कार्य-दिवसों में प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 स्थित आयोग के बिक्री काउंटर से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

(14) <u>स्थानीय निकायों के निर्वाचन</u>

आम जनता के मन में यह भ्रांति होती है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन भी आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के अंतर्गत पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण, और इन निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य निर्वाचन आयोग के पास निहित है न कि आयोग (अथार्त् भारत निर्वाचन आयोग) के पास।

स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में एक राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) है। एसईसी एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है और न तो भारत निर्वाचन आयोग का अंग है और न ही इसकी परिधि में आता है। इस प्रकार भारत निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों अर्थात् पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, स्थानीय निकायों से संबंधित सूचना तथा इन निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली से संबंधित मामलों के लिए राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग में संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

(15) ऐसी अन्य सूचना जो विहित हो

सहा. जन सूचना अधिकारी, समन्वयक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, नोडल अधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के विवरण नीचे दिए गए हैः-

1. **सहायक जन सूचना अधिकारीः-**

   श्री संतोष कुमार दूबे
   एपीआईओ एवं अनुभाग अधिकारी
   कमरा सं. 510, भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नं. 23052114

2. **समन्वयक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी**
श्री सुजीत कुमार मिश्रा,
सीपीआईओ एवं अवर सचिव,
कमरा सं. 605, भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
skmishra@eci.gov.in
टेलीफोन 23052064

3. **प्रथम अपीलीय प्राधिकारीः-**
श्री के. एफ. विल्फ्रेड
प्रधान सचिव
कमरा सं. 305, भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
टेलीफोनः 011-23052026
फैक्स नं. 23052010
ई-मेलः kfwilfred@eci.gov.in

4. **नोडल अधिकारी**
श्री तपस कुमार, वरिष्ठ प्रधान सचिव
कमरा सं. 113, भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नं.- 23717164
फैक्स 23052007
ई-मेलः tkumar@eci.gov.in

5. **पारदर्शिता अधिकारीः-**
श्री विनोद ज़ुत्शी, उप निर्वाचन आयुक्त,
कमरा सं. 107, भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली - 110001
टेलीफोन : 23052023, 23052024,
फैक्स : 23052025
ई-मेल : vinodzutshi@eci.gov.in

आयोग के अधिकारियों के सम्पर्क विवरण लिंक http://eci.nic.in/eci_main1/election_commission.aspx से देखे जा सकते हैं।